

प्रदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

मुकदमा

प्रश्न
विविध प्रार्थना पत्र

बनाम



सुमि खारी

नं०

05

सन

2019

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
49/19	<p>प्रार्थना पत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। विपक्षी की तलवी हड मय नकल प्रार्थना पत्र नोटीस जारी किया जाकर पत्रावली वाले जवाब- वकालत दिनांक 01/10/2019 को देना हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</p>	
6.	<p>पत्रावली देय हुई। प्रेषण करवा उपास्थित। अखिवक्ता जर्जीया खं प्रार्थना अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक का कई बार अपील लावाते पर भी प्रार्थना अथवा अखिवक्ता जर्जीया उपास्थित नहीं हुए। कतः प्रमाणदम हाजरी अदम पेशी में खरीज किया जाता है। पत्रावली कैलम शुमार होकर नम्बर ले कम हो। पत्रावली मूल काल के साथ समझे की जावे।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा</p>	

मानिए

वद पत्र अन्तर्गत

6. जदिये भविष्यतः

सिमावती, सिमा

जति जैन, आ

5. श्रीमति शान्ता

श्रीमती शान्ता

जैन, आ

4. कर्मका

नारायणी

3. प्रकाश

(म.प्र.)

खती, न